# जनपद बिजनौर

## प्रेस नोटः- थाना चांदपुर

## दिनांक 15.06.2025

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0स0 338/25 धारा 74/333/351(3) व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 14.06.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मानव कौशिक पुत्र श्री अनिल शर्मा निवासी ग्राम दरबाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पौती के साथ जबरदस्ती छेडछाड की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0स0 338/25 धारा 74/333/351(3) बीएएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाहीः-**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मानव कौशिक पुत्र श्री अनिल शर्मा निवासी ग्राम दरबाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

मानव कौशिक पुत्र श्री अनिल शर्मा निवासी ग्राम दरबाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.उ0नि0 जसवीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

2.आरक्षी रजनीश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3.आरक्षी इंसाद थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

# जनपद बिजनौर

## प्रेस नोटः- थाना किरतपुर

## दिनांक 15.06.2025

**थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 150/25 धारा 191(2)/190/109(1)/352/118(1) बीएनएस से संबंधित**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 07.06.2025 वादी श्री हेमेन्द्र राजपूत पुत्र सागर सिंह निवासी ग्राम औरंगपुर फत्ता थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादी के पुत्रो द्वारा सडक किनारे मोटरसाइकिल खडे करने को लेकर अभियुक्तगण 1.शहबाज पुत्र अय्यूब 2.अकरम पुत्र वसीर 3.फिरोज पुत्र मेहंदी 4.कौसर पुत्र जमीर 5.अनु पुत्र मुन्ने 6.मुकीम व कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर गाली गलौच करते हुए वादी के पुत्र सावन व परीक्षित पर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे व धारदार हथियार से वार किया । तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 150/25 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त महफूज पुत्र महबूब अहमद निवासी ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया तथा अभियोग में धारा 118(1) बीएनएस की वृद्धि की गई ।

**कार्यवाहीः-**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त महफूज पुत्र महबूब अहमद निवासी ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

**नोट-** थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित शहबाज पुत्र अय्यूब व फिरोज पुत्र मेंहदी उपरोक्त को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

महफूज पुत्र महबूब अहमद निवासी ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.थानाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
2.उ0नि0 गौरव मलिक थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
3.मुख्य आरक्षी जितेश कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
4.आरक्षी राहुल सैनी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद**

**दिनांक – 15.06.2025**

**थाना नजीबाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक स्टोरी लगाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 15.06.2025 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म (एक्स) पर एक वीडियो वायरल हुआ । वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि हेमंत कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी मुख्तियारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक स्टोरी लगाई गयी है । इस सम्बंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 202/25 धारा 299 बीएनएस व 66 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

**कार्यवाही –**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त हेमंत कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी मुख्तियारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को एक मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

हेमंत कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी मुख्तियारपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

**बरामदगी विवरण**

एक मोबाइल फोन

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.निरीक्षक अपराध योगेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
2.उ0नि0 नितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
3.उ0नि0 सौरव सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
4.मुख्य आरक्षी राजीव कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
5.आरक्षी अंशुल कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
6.आरक्षी गौरव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नांगल

दिनांक 15.06.2025

**थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 86/25 धारा 70(1)/333 बीएनएस मे वांछित अभियक्त को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 13.06.2025 को वादिया ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्त बहार आलम पुत्र निसार निवासी शाहजहांपुर जसरत उर्फ पुण्डरी कलां थाना नांगल जनपद बिजनौर व एक अन्य अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ गलत कार्य किया गया तथा वीडिया बनाकर ब्लैकमेल किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0स0 86/25 धारा 70(1)/333 बीएएनएस पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाहीः-**

थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त बहार आलम पुत्र निसार निवासी शाहजहांपुर जसरत उर्फ पुण्डरी कलां थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

बहार आलम पुत्र निसार निवासी शाहजहांपुर जसरत उर्फ पुण्डरी कलां थाना नांगल जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.प्र0 निरी0 सुशील कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

2.उ0नि0 विनोद कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
3.आरक्षी अजय थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

# जनपद बिजनौर

## प्रेस नोटः- थाना चांदपुर

## दिनांक 15.06.2025

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0स0 333/25 धारा 191(2)/190/115(2)/75(3)/109(1)/351(3) बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 12.06.2025 को वादी श्री बाबू पुत्र जमीर निवासी ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जपनद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नासिर पुत्र अशफाक, 2.साजिद व 3.वाजिद पुत्रगण जाकिर व 4.जाकिर पुत्र अजगर समस्त निवासीगण ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर सहित नामित 06 अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी, वादी के भाई आरिफ व वादी की पत्नी के साथ लाठी-डन्डो / लोहे की रॉड आदि से मारपीट कर चोट पहुंचाई गई तथा मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0स0 333/25 धारा 191(2)/190/115(2)/75(3)/109(1)/351(3) बीएएनएस पंजीकृत किया गया ।

**कार्यवाहीः-**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.नासिर पुत्र अशफाक, 2.साजिद व 3.वाजिद पुत्रगण जाकिर व 4.जाकिर पुत्र अजगर समस्त निवासीगण ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना मे प्रयुक्त लाठी व एक लोहे का पाइप सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

1.नासिर पुत्र अशफाक निवासी ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.साजिद पुत्र जाकिर निवासी ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.वाजिद पुत्र जाकिर निवासी ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.जाकिर पुत्र अजगर निवासी ग्राम सब्दलपुर तेली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

**बरामदगी विवरण-**

एक लाठी व एक लोहे का पाइप

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.उ0नि0 रोबिन कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2.आरक्षी आकाश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.आरक्षी सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.आरक्षी सुमित थाना चांदपुर जनपद बिजनौर